[2021] 4 उम. नि. प. 113

मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

महेंद्र उर्फ **गोलू**

[2011 की दांडिक अपील सं. 1827]

25 अक्तूबर, 2021

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हीमा कोहली

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(च), धारा 511 और धारा 354 – बलात्संग करने का प्रयत्न – अभियुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा दो अप्राप्तवय लड़कियों को फुसलाकर अपने मकान में ले जाना – दरवाजा बंद करके उन्हें एक कमरे में ले जाकर निर्वस्त्र करना और अपने जननांग को उनके जननांगों पर रगड़ना – विपदग्रस्तों के रोने के कारण वास्तविक प्रवेशन से बच जाना – विपदग्रस्तों द्वारा विस्तारपूर्वक घटना का वर्णन किया जाना और प्रतिपरीक्षा में अडिग रहना – विचारण न्यायालय द्वारा बलात्संग का प्रयत्न करने के लिए दोषसिद्धि – उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के कृत्य को बलात्संग का अपराध कारित करने की 'तैयारी' मानते हुए लज्जा भंग करने के लिए दोषसिद्ध किया जाना – संधार्यता – चूंकि अभियुक्त द्वारा किए गए उक्त कृत्य अपराध कारित करने की तैयारी का अंत था और विपदग्रस्तों तथा स्वयं के वस्त्र उतारने का पश्चात्वर्ती कार्य मैथुन करने का प्रयास था और यह कृत्य सोच-विचार करके और अपराध कारित करने के स्पष्ट आशय से किए गए थे और वास्तविक प्रवेशन के पूर्व के थे तथा अभियुक्त के कृत्यों के संबंध में विपदग्रस्तों द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वासोत्पादक, सिखाने-पढ़ाने की किसी संभावना से रहित होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की बलात्संग का प्रयत्न करने के लिए की गई दोषसिद्धि के निर्णय को प्रत्यावर्तित करना न्यायोचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि दो अप्राप्तव्य लड़कियां जिनकी आयु क्रमश: 9 वर्ष और 8 वर्ष थी, प्रत्यर्थी-अभियुक्त के मकान

के पास गुल्लीडंडा खेल रही थीं । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 20 दिसंबर, 2005 (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने की तारीख) से पंद्रह दिन पूर्व दो विपदग्रस्त-अभियोक्त्री, आयु क्रमश: लगभग 9 वर्ष और 8 वर्ष, जो 'एक्स' (अभि. सा. 1) और 'वाई' (अभि. सा. 2) के रूप में नामित हैं, प्रत्यर्थी के मकान के निकट गली में 'गुल्लीडंडा' खेल रही थीं । प्रत्यर्थी ने, जिसे दोनों विपदग्रस्त उसी अवस्थान में रहने के कारण जानती थी, उन्हें यह प्रलोभन देकर बुलाया कि वह उन्हें धनराशि देगा । धनराशि पाने के वचन से विलुब्ध होकर दोनों विपदग्रस्त प्रत्यर्थी के साथ उसके मकान पर चली गईं जो कि घटना के समय पर पूरी तरह से खाली था । प्रत्यर्थी ने इस उपयुक्त क्षण का फायदा उठाकर मकान के सभी दरवाजे अंदर से बंद कर दिए । इसके पश्चात् वह विपदग्रस्तों को मकान के एक कमरे में ले गया और कहा कि वह उनसे विवाह करेगा । प्रत्यर्थी ने उसके पश्चात् उन्हें निर्वस्त्र किया और उसने अपने भी वस्त्र उतारे और अपने जननांग को बारी-बारी उनके जननांग पर रगड़ा । प्रत्यर्थी के इस कृत्य की स्पष्ट प्रतिक्रिया के रूप में दोनों अप्राप्तव्य विपदग्रस्तों को अवश्य डर और सदमा लगा होगा, जिसके कारण वे अभिकथित रूप से रोने लगीं । प्रत्यर्थी ने इस आशंका से कि पड़ौसी संभवत: विपदग्रस्तों की आवाज सुन सकते हैं, उन्हें यह कहा कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ न बताया जाए और उन्हें शारीरिक अपहानि पहुंचाने की धमकी देकर चुप करा दिया । तथापि, कुछ दिनों के पश्चात् दोनों विपदग्रस्तों ने घटना का पूरा ब्यौरा अपनी एक सहेली के सामने उजागर कर दिया । जब इस घटना के बारे में इन लड़कियों की माताओं को पता चला तो उन्होंने इसके बारे में अपने पतियों को बताया और इस प्रकार, घटना के पंद्रह दिन बीत जाने के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल की गई । विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376(2)(च) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया यद्यपि उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अधीन दोषमुक्त कर दिया । प्रत्यर्थी को पांच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 5,000/- रुपए के जुर्माने का दंडादेश दिया गया । प्रत्यर्थी द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दोषसिद्धि को चुनौती

दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए कि अभियुक्त का कार्य बलात्संग करने की तैयारी था और लज्जा भंग करने के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को उपांतरित कर दिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376(2)(च) के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया । राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – जिन बातों से 'प्रयत्न' का गठन होता है, वह विधि और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है । 'प्रयत्न' तैयारियां पूर्ण हो जाने के पश्चात् अपराध कारित करने की दिशा में प्रत्यक्ष संचलन है । यह साबित करना आवश्यक है कि प्रयत्न अपराध कारित करने के आशय से किया गया था । प्रयत्न तब भी संभव है जब अभियुक्त मूल अपराध कारित करने में असफल रह जाता है । इसी प्रकार, यदि कोई अपराध कारित करने का प्रयत्न पूर्ण हो जाता है, तब अपराध सभी आशय और प्रयोजनों के लिए कारित हो जाता है । विपदग्रस्तों (अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2) द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य अकाट्य हैं । दोनों ने असंदिग्ध रूप से कथन किया था कि कैसे प्रत्यर्थी ने उन्हें फुसलाया था और उन सभी मानसिक आघात पहुंचाने वाले कृत्यों में आलिप्त किया था । दोनों विपदग्रस्त-बालिकाओं के कथनों से पूर्ण विश्वास प्रेरित होता है, उनकी निर्दोषिता सिद्ध होती है और सिखाने-पढ़ाने की किसी दूरस्थ संभावना के बिना उनका वृत्तांत स्वाभाविक दिखाई पड़ता है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 8 के मुकाबले में दोनों विपदग्रस्तों के परिसाक्ष्यों के बीच विरोधाभास के संबंध में दी गई कमजोर दलील समान रूप से अमान्य है । बोधगम्य विरोधाभास उस वर्णन को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिस पर अभियोजन का पक्षकथन आधारित है । अन्यथा भी, इस विरोधाभास को अधिक से अधिक एक बाल साक्षी की ओर से मात्र एक 'अतिरंजना' के रूप में देखा जा सकता है जिसके शेष परिसाक्ष्य से अभियोजन के पक्षकथन का पूर्णतया समर्थन होता है । जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है, यह महत्वपूर्ण तथ्य निर्विवादित

रहा है कि विपदग्रस्तों द्वारा घटना के विवरण को अभि. सा. 8 के साथ साझा किया गया था और इसलिए न्यायालय छुट-पुट अतिरंजना के आधार पर संपूर्ण साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए आबद्ध नहीं हैं । इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने बारंबार यह दोहराया है कि विपदग्रस्त का अकेला अभिसाक्ष्य भी संपुष्टि के लिए तर्कपूर्ण कारणों के विद्यमान न होने पर भी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है । इस न्यायालय की सुविचारित राय में, प्रत्यर्थी का अप्राप्तवय लड़कियों को फुसलाने, उन्हें कमरे के अंदर ले जाने, दरवाजे बंद कर लेने और विपदग्रस्तों को मैथुन करने के हेतु से कमरे में ले जाने का कृत्य अपराध कारित करने की 'तैयारी' का अंत था । अभियोक्त्रियों और स्वयं के वस्त्र उतारने का उसके पश्चात्वर्ती कार्य और अपने जननांगों को विपदग्रस्तों से जननांगों से रगड़ना वास्तव में मैथुन करने का प्रयास था । प्रत्यर्थी के ये कृत्य लक्षित अपराध कारित करने के स्पष्ट आशय के साथ सोच-विचार करके किए गए थे और अपराध की पूर्णता के युक्तियुक्त रूप से सन्निकट थे । चूंकि प्रत्यर्थी के कृत्य तैयारी के प्रक्रम से आगे बढ़ गए थे और वास्तविक प्रवेशन से पूर्व के थे । विचारण न्यायालय ने उसे ठीक ही भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 375, जैसी कि यह घटना घटने के समय प्रवृत्त थी, की व्याप्ति और परिधि के भीतर यथा दंडनीय बलात्संग करने का प्रयत्न करने का दोषी ठहराया था । (पैरा 20, 22, 23 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2004]	(2004) 3 एस. सी. सी. 602 : **कोप्पुला वेंकट राव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	18
[2004]	(2004) 4 एस. सी. सी. 379 : **अमन कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	9, 16
[1997]	(1997) 7 एस. सी. सी. 677 : **मदन लाल** बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** ।	17

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 1827.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 134 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री प्रणीत यादव और सन्नी चौधरी

प्रत्यर्थी की ओर से प्रवीण चतुर्वेदी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने दिया ।

न्या. कांत – मध्य प्रदेश राज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अपीलार्थी" कहा गया है) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रधान न्यायपीठ, जबलपुर द्वारा तारीख 8 अक्तूबर, 2009 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध अपील में है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376(2)(च) के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया था और इसके बजाय भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दोषी ठहराया गया था और परिणास्वरूप उसके पांच वर्ष के कठोर कारावास के दंडादेश को कम करके दो वर्ष कर दिया गया था ।

संक्षिप्त तथ्य

2. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 20 दिसंबर, 2005 (प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने की तारीख) से पंद्रह दिन पूर्व दो विपदग्रस्त-अभियोक्त्री, आयु क्रमश: लगभग 9 वर्ष और 8 वर्ष, जो 'एक्स' (अभि. सा. 1) और 'वाई' (अभि. सा. 2) के रूप में नामित हैं, प्रत्यर्थी के मकान के निकट गली में 'गुल्लीडंडा' खेल रही थीं । प्रत्यर्थी ने, जिसे दोनों विपदग्रस्त उसी अवस्थान में रहने के कारण जानती थी, उन्हें यह प्रलोभन देकर बुलाया कि वह उन्हें धनराशि देगा । धनराशि पाने के वचन से विलुब्ध होकर दोनों विपदग्रस्त प्रत्यर्थी के साथ उसके मकान पर चली गईं जो कि घटना के समय पर पूरी तरह से खाली था । प्रत्यर्थी ने इस उपयुक्त क्षण का फायदा उठाकर मकान के सभी दरवाजे अंदर से बंद कर दिए । इसके पश्चात् वह विपदग्रस्तों को मकान के एक कमरे में ले गया और कहा कि वह उनसे विवाह करेगा । यह बताया गया है कि प्रत्यर्थी ने उसके पश्चात् अभि. सा. 1 को निर्वस्त्र किया और उसे सूत की खाट पर लेटा दिया जो कमरे में रखी थी । इसी

बीच, उसने अपने भी वस्त्र उतारे और अपने जनानांग को अभि. सा. 1 के जनानांगों पर रगड़ने लगा । इसके पश्चात् इसी समरूप रीति में ऊपर वर्णित कृत्य अभि. सा. 2 के साथ भी दोहराया गया ।

3. प्रत्यर्थी के इस कृत्य की स्पष्ट प्रतिक्रिया के रूप में दोनों अप्राप्तव्य विपदग्रस्तों को अवश्य डर और सदमा लगा होगा, जिसके कारण वे अभिकथित रूप से रोने लगीं । प्रत्यर्थी ने इस आशंका से कि पड़ोसी संभवत: विपदग्रस्तों की आवाज सुन सकते हैं, उन्हें यह कहा कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ न बताया जाए और उन्हें शारीरिक अपहानि पहुंचाने की धमकी देकर चुप करा दिया । तथापि, कुछ दिनों के पश्चात् दोनों विपदग्रस्तों ने घटना का पूरा ब्यौरा अपनी सहेली, जिसे 'जेड' (अभि. सा. 8) के रूप में नामित किया गया है, के सामने उजागर कर दिया । दुर्भाग्यवश, वह घटना जो सदा के लिए दफन रह सकती थी, अभि. सा. 8 के दुर्भाग्यपूर्ण और अनजाने में हस्तक्षेप के कारण उजागर हो गई । यह बताया गया है कि अभि. सा. 2 के मकान पर एक धार्मिक समारोह के अवसर पर अभि. सा. 8 ने अभि. सा. 2 को 'प्रत्यर्थी की पत्नी' कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे अभि. सा. 6 (अभि. सा. 2 की माता) इस बात के पीछे के कारणों की जांच-पड़ताल करने के लिए प्रेरित हुई । इस संयोगवश जांच ने विपदग्रस्तों को घटना का पूरा विवरण अपनी माताओं को प्रकट करने के लिए उत्सुकता बढ़ा दी । समारोह वाले दिन ही अभि. सा. 2 ने अभि. सा. 6 को भरोसा दिया और अभि. सा. 2 ने उसे घटना को विस्तार से सांझा करने के लिए प्रोत्साहित किया । इसी प्रकार, उसी दिन सायंकाल में अभि. सा. 1 ने अभि. सा. 3 (अभि. सा. 1 की माता) को यह बात बताने का भरोसा दिया । माताओं (अभि. सा. 3 और अभि. सा. 6) ने फिर इस बात को अपने-अपने पतियों को बताया । इस प्रकार, घटना के पंद्रह दिन बीत जाने के पश्चात् यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल की गई थी ।

4. विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376(2)(च) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया यद्यपि उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अधीन

दोषमुक्त कर दिया । प्रत्यर्थी को पांच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 5,000/- रुपए के जुर्माने का दंडादेश दिया गया ।

5. प्रत्यर्थी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ के समक्ष अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने तारीख 8 अक्तूबर, 2009 के आक्षेपित निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को उपांतरित कर दिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376(2)(च) के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया तथा प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दोषसिद्ध किया और उसे दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 5,000/- रुपए के जुर्माने का दंडादेश दिया । उच्च न्यायालय की यह राय थी कि :–

> "17. अभिलेख पर के साक्ष्य विशिष्ट रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 का परिशीलन करने पर मेरा यह मत है कि अपीलार्थी ने दोनों अभियोक्त्रियों के साथ बलात्संग करने के लिए संपूर्ण प्रयास नहीं किया था, वह तैयारी के प्रक्रम से परे नहीं गया था और उसका आशय सर्वथा ऐसा करना नहीं था । विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि किसी अपराध की तैयारी को उस अपराध को कारित करने के प्रयत्न के रूप में नहीं समझा जा सकता है, इसलिए मेरा यह सुविचारित मत है कि अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी द्वारा किया गया दोनों अभियोक्त्रियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अशिष्ट हमला करने का अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होता है ....। परिणामत: अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376(2)(च), दोनों धाराओं के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है ।"
>
> (बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

6. पूर्वोक्त उपांतरण और परिणामस्वरूप दंडादेश में की गई कमी को अभियोजन पक्ष द्वारा हमारे समक्ष चुनौती दी गई है ।

पक्षकारों की दलीलें

7. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल, श्री मुकुल सिंह ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध 'बलात्संग का प्रयत्न करने' के स्पष्ट अभिकथन हैं । दोनों अभियोक्त्रियों ने 'एक्स' (अभि. सा. 1) और 'वाई' (अभि. सा. 2) के रूप में अभिसाक्ष्य दिया था और अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया था । उन्होंने अडिग रूप से गहन प्रतिपरीक्षा का सामना किया था और बारीकी से स्पष्ट किया था कि कैसे यह क्रूर अपराध कारित किया गया था । दोनों विपदग्रस्तों ने इस अपमानजनक और हतोत्साहित करने वाली प्रतिपरीक्षा का उत्तम रीति से सामना किया था । उनके अभिसाक्ष्यों की 'जेड' (अभि. सा. 8) – परिस्थितियों के संयोगी साक्षी द्वारा सम्यक् रूप से संपुष्टि की गई थी । विद्वान् काउंसेल ने यह आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376(2)(च) के अधीन अपराध कारित करने के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा कानून की आत्मा या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को लागू होने वाले स्थिर सिद्धांतों की अनदेखी करके अनुचित रूप से उपांतरित किया गया था । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि उच्च न्यायालय बलात्संग कारित करने का 'प्रयत्न' करने के संघटकों का मूल्यांकन करने में पूरी तरह से असफल रहा था और लापरवाह और असंवेदनशील रीति में इसे मात्र एक 'तैयारी' के मामले के रूप में हल्का कर दिया था ।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि यदि अभियोजन के पक्षकथन को वेदवाक्य के रूप में स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी बलात्संग करने की 'तैयारी' से परे कुछ भी साबित नहीं किया गया है । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विचारण न्यायालय कोई अपराध कारित करने के प्रयत्न या इसकी मात्र 'तैयारी' के बीच विभेद करने में असफल रहा था और प्रत्यर्थी को बलात्संग करने का 'प्रयत्न' करने के अपराध के लिए गलत रूप से दोषसिद्ध किया था । उन्होंने जोरदार रूप से यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही स्पष्ट गलती में सुधार किया था और 'बलात्संग

करने का प्रयत्न करने' के लिए दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन यथा परिभाषित किसी स्त्री की 'लज्जा भंग करने' के अपराध में उपांतरित किया था । इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी आग्रह किया कि घटनास्थल के निकट अभि. सा. 8 के मौजूद होने के संबंध में दोनों विपदग्रस्तों के मुकाबले में उसके परिसाक्ष्य में तात्विक विरोधाभास हैं जिससे अभियोजन का वृत्तांत अत्यधिक संदेहास्पद बन जाता है ।

9. असलियत में, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल, श्री प्रवीण चतुर्वेदी ने किसी अपराध को कारित करने के लिए वास्तव में 'प्रयत्न' करने की तुलना में इसकी मात्र 'तैयारी' की सुभिन्न विशेषताओं पर दी गई अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए **अमन कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का पुरजोर अवलंब लिया । उन्होंने, विनिर्दिष्टत:, उद्धृत विनिश्चय के निम्नलिखित पैराओं का अवलंब लिया :–

> "9. अपराधी पहले अपराध कारित करने का आशय बनाता है, फिर इसे कारित करने के लिए तैयारी करता है और उसके पश्चात् अपराध कारित करने का प्रयत्न करता है । यदि प्रयत्न सफल हो जाता है, तो उसने अपराध कारित किया है ; यदि यह उसके नियंत्रण से परे के कारणों की वजह से असफल रहता है, तो यह कहा जाएगा कि उसने अपराध कारित करने का प्रयत्न किया है । अपराध कारित करने का प्रयत्न तब आरंभ हुआ कहा जा सकता है जब तैयारियां पूर्ण हो जाती हैं और अपराधी अपराध कारित करने के आशय से कुछ करने की शुरुआत करता है जो कि अपराध कारित करने की दिशा में एक कदम है । जिस क्षण वह आवश्यक आशय के साथ कोई कृत्य करने की शुरुआत करता है, उसी क्षण उसके अपराध कारित करने की शुरुआत हो जाती है । 'प्रयत्न' शब्द को स्वत: परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए इसे अवश्य इसके साधारण अर्थ में समझा जाना चाहिए । धारा 511 के उपबंधों की ठीक-ठीक यही अपेक्षा है । कोई अपराध कारित करने

---

[1] (2004) 4 एस. सी. सी. 379.

का प्रयत्न और इसे कारित करने के आशय तथा इसको कारित करने के लिए की गई तैयारी में प्रभेद किया जाना चाहिए । कोई अपराध कारित करने के मात्र आशय से किसी अपराध का गठन नहीं हो सकता है, यदि इसके अनुसरण में कोई कृत्य न किया गया हो । इच्छा को तब तक कार्य नहीं समझा जाना चाहिए जब तक कुछ ऐसा बाह्य कृत्य न किया गया हो जिससे यह दर्शित होता हो कि इसकी दिशा में या इसे परिपक्व और कार्यान्वित करने के लिए प्रगति की गई थी । आशय उस उद्देश्य की ओर कार्य-संचालन की दिशा है जिसका उन हेतुओं पर विचार करने के उपरांत चयन किया गया है जिनसे विकल्प का सुझाव मिलता है । तैयारी में अपराध के कारित करने के लिए आवश्यक साधन या उपाय जुटाना अथवा व्यवस्था करना समाविष्ट होता है । तैयारी, प्रयत्न से व्यापक रूप से भिन्न है, जो कि तैयारी कर लेने के पश्चात् अपराध कारित करने की दिशा में प्रत्यक्ष संचलन है । कोई अपराध कारित करने की तैयारी केवल तब दंडनीय है जब तैयारी धारा 122 (भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना) और धारा 399 (डकैती करने के लिए तैयारी करना) के अधीन अपराध कारित करने के लिए हो । मात्र तैयारी और प्रयत्न के बीच की विभाजनकारी रेखा कभी-कभी बारीक होती है और इसका विनिश्चय प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए । तैयारी की तुलना में प्रयत्न में संकल्प की मात्रा अधिक होती है ।

10. कोई अपराध कारित करने का प्रयत्न ऐसा कृत्य है या कृत्यों की श्रृंखला है, जिसके परिणामस्वरूप अपरिहार्य रूप से अपराध कारित किया जाता है यदि ऐसी कोई बात इसे निवारित करने के लिए घटित न हो जिसकी कृत्य करने वाले ने न तो पूर्व-कल्पना की हो और न ही उसका ऐसा आशय हो । प्रयत्न को किसी आपराधिक उद्देश्य के भागत: निष्पादन में किए गए कृत्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो मात्र तैयारी से अधिक किंतु इसके वास्तविक समापन से कम रह जाता है और मूल अपराध का समापन करने के लिए, इसमें असफल रहने के सिवाय, सभी तत्वों को कब्जे में रखने की कोटि में आता है । दूसरे शब्दों में, तैयारी में

कोई अपराध कारित करने का आशय समाविष्ट होता है किंतु इसको वास्तविक रूप से कारित करने में कम रह जाता है । परिणामस्वरूप इसे इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि यदि इसे रोका नहीं गया होता तो इसकी परिणति प्रयत्न किए गए कृत्य के पूर्ण समापन में होती । धारा 511 में दिए गए दृष्टांतों से मात्र तैयारी के मामलों और प्रयत्न के मामलों के बीच फर्क करने का विधायी आशय स्पष्ट रूप से दर्शित होता है ।"

10. इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, प्रश्न जो हमारे विचार के लिए पैदा होता है यह है कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा कारित किया गया साबित अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376(2)(च) के अर्थांतर्गत बलात्संग करने के 'प्रयत्न' की कोटि में आता है या क्या यह एकमात्र 'तैयारी' थी जिसके परिणामस्वरूप विपदग्रस्तों की लज्जा भंग की गई थी ?

विश्लेषण

बलात्संग करने की 'तैयारी' और 'प्रयत्न' के बीच विभेद

11. दांडिक विधिशास्त्र की यह एक स्थिर प्रतिपादना है कि प्रत्येक अपराध में प्रथमत:, आपराधिक मन:स्थिति (कारित करने का आशय), द्वितीयत:, इसे कारित करने की तैयारी और तृतीयत:, इसे कारित करने का प्रयत्न होता है । यदि तृतीय प्रक्रम अर्थात् 'प्रयत्न' सफल हो जाता है तो अपराध पूर्ण हो जाता है । यदि प्रयत्न असफल रहता है तो अपराध पूर्ण नहीं होता है, किंतु विधि फिर भी व्यक्ति को उक्त कृत्य का प्रयत्न करने के लिए दंडित करती है । 'प्रयत्न' इसलिए दंडनीय है क्योंकि कारित करने में असफल रहे अपराध से पूर्व आपराधिक मन:स्थिति रहती है, नैतिक दोष होता है और सामाजिक मूल्यों पर पड़ने वाला इसका बुरा असर वास्तविक रूप से कारित अपराध से कम नहीं होता है ।

12. अपराध कारित करने की 'तैयारी' और कारित करने के 'प्रयत्न' के बीच एक सुस्पष्ट विभेद है और यह सब कानूनी आदेश पत्र के साथ-साथ किसी मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है । 'तैयारी' के प्रक्रम में सोच-विचार, उन साधनों या उपायों का

जुटाना या व्यवस्था करना समाविष्ट होता है जो अपराध को कारित करने में आवश्यक होंगे । जबकि, अपराध कारित करने का 'प्रयत्न' तैयारी पूर्ण हो जाने के ठीक पश्चात् आरंभ हो जाता है । तैयारी के पश्चात् 'प्रयत्न' आपराधिक मन:स्थिति का निष्पादन है । 'प्रयत्न' वहां आरंभ होता है जहां 'तैयारी' का अंत होता है, यद्यपि यह वास्तविक रूप से अपराध के कारित होने से कम रह जाता है ।

13. तथापि, यदि लक्षण असंधिग्ध रूप से तैयारी के प्रक्रम से परे हैं, तब उपापराध मूल अपराध कारित करने के 'प्रयत्न' के रूप में समझा जाना अर्हित हो जाएगा और ऐसा 'प्रयत्न' स्वयंमेव भारतीय दंड संहिता की धारा 511 को देखते हुए एक दंडनीय अपराध है । अपराध कारित करने की 'तैयारी' या कारित करने के 'प्रयत्न' का अवधारण प्रमुख रूप से अभियुक्त के कृत्य और आचरण का मूल्यांकन करके किया जाएगा और क्या घटना 'तैयारी' और 'प्रयत्न' के बीच के सूक्ष्म अंतर का उल्लंघन करने की कोटि में आती है या नहीं । यदि अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त पर किसी स्पष्ट कृत्य का अभ्यारोपण नहीं है और केवल प्रारंभिक कवायद की गई थी और यदि ऐसे प्रारंभिक कृत्यों से वास्तविक अपराध को कारित करने की संभावना का प्रबल निष्कर्ष निकलता है, तो अभियुक्त अपराध कारित करने की तैयारी करने का दोषी होगा जो दंड विधियों के आशय और व्याप्ति पर निर्भर करते हुए दंडनीय हो भी सकता है और नहीं भी ।

14. भारतीय दंड संहिता की धारा 511 एक साधारण उपबंध है जो उन अपराधों को कारित करने के प्रयत्न के संबंध में है जिन्हें संहिता की अन्य विनिर्दिष्ट धाराओं द्वारा दंडनीय नहीं बनाया गया है और इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि "जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, जहां कि ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहां वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए, जो यथास्थिति, आजीवन कारावास से आधे तक की या

उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो उस अपराध से उपबंधित है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

15. इस प्रक्रम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन 'बलात्संग' के अपराध के उन प्रारंभिक घटकों को निर्दिष्ट करना अत्यंत सुसंगत है, जो उस समय प्रवृत्त थे जब प्रस्तुत मामले में घटना घटी थी । वर्ष 2013 के संशोधन से पूर्व 'बलात्संग' की परिभाषा में यह उपबंध किया गया था कि "जो पुरुष एतस्मिन्पश्चात् अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छह भांति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है, वह पुरुष 'बलात्संग' करता है, यह कहा जाता है :–

पहला – उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध ।

दूसरा – उस स्त्री की सम्मत्ति के बिना ।

तीसरा – * * *

चौथा – * * *

पांचवां – * * *

छठा – उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति से जबकि वह सोलह या कम आयु की है ।

स्पष्टीकरण – बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है ।

अपवाद – पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

16. उपरोक्त उपबंध के पठन मात्र से यह दर्शित होता है कि सोलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ, उसकी सम्मति से या सम्मति के बिना, मैथुन करना 'बलात्संग' की कोटि में आता है और ऐसे अपराध

को साबित करने के लिए मात्र प्रवेशन पर्याप्त है । 'प्रवेशन' अभिव्यक्ति पुरुष के लिंग को स्त्री के गुप्तांगों में प्रवेश करने की द्योतक है, चाहे यह थोड़ा-सा भी हो । इस न्यायालय ने अनेक अवसरों पर स्पष्ट किया है कि असंशोधित दंड संहिता, जो सुसंगत समय पर प्रवर्तन में थी, के अधीन 'प्रवेशन' किस बात का सूचक है । **अमन कुमार** (उपर्युक्त) वाले मामले में यह सारांश दिया गया था :–

> "7. प्रवेशन बलात्संग के अपराध के लिए अनिवार्य है । प्रवेशन का गठन करने के लिए अवश्य स्पष्ट और सटीक साक्ष्य होना चाहिए जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्त की जननेद्रियों का कुछ भाग स्त्री की बाह्य-जननेद्रियों के वृहत् भगोष्ठ के भीतर था, यह बात मायने नहीं रखती कि कितना था (जोसेफ लाइन्स, आई सी एंड के 893 देखें) ।"

17. यहां तक कि इससे पूर्व भी **मदन लाल** बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह राय व्यक्त की थी कि अभियुक्त के कृत्य की मात्रा बलात्संग करने की 'तैयारी' और 'प्रयत्न' के बीच फर्क करने के लिए विशेष रूप से निश्चायक होती है । यह अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "12. अपराध कारित करने के लिए तैयारी और प्रयत्न के बीच फर्क मुख्य रूप से इनमें संकल्प की बृहतर मात्रा में समाविष्ट है और बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध को साबित करने के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि अभियुक्त तैयारी के प्रक्रम से परे चला गया था । यदि कोई अभियुक्त किसी लड़की के वस्त्र उतारकर नंगा कर देता है और फिर उसे जमीन पर लेटाकर स्वयं निवस्त्र हो जाता है और फिर अपने खड़े शिश्न को लड़की के गुप्तांगों पर रगड़ता है किंतु उसे लड़की की योनि में प्रवेश कराने में असफल रहता है और इस प्रकार रगड़ने से उसका वीर्य स्खलित हो जाता है, तब हमारे लिए यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन मात्र हमले का मामला

---

[1] (1997) 7 एस. सी. सी. 677.

था न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन बलात्संग करने का प्रयत्न करने का मामला । प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया गया है और उच्च न्यायालय ने ठीक ही उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन दोषसिद्ध किया था ।"

18. **कोप्पुला वेंकट राव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा बलात्संग के किसी मामले में 'प्रयत्न' और 'तैयारी' के बीच फर्क को पुन: यह अधिकथित करते हुए स्पष्ट किया गया था :–

"10. कोई अपराध कारित करने का प्रयत्न ऐसा कृत्य है या कृत्यों की श्रृखंला है, जिसके परिणामस्वरूप अपरिहार्य रूप से अपराध कारित किया जाता है यदि ऐसी कोई बात इसे निवारित करने के लिए घटित न हो जिसकी कृत्य करने वाले ने न तो पूर्व-कल्पना की हो और न ही उसका ऐसा आशय हो । प्रयत्न को किसी आपराधिक उद्देश्य के भागत: निष्पादन में किए गए कृत्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो मात्र तैयारी से अधिक किंतु इसके वास्तविक समापन से कम होता है और मूल अपराध को पूर्ण करने के लिए, इसमें असफल रहने के सिवाय, सभी तत्वों को कब्जे में रखने की कोटि में आता है । दूसरे शब्दों में, तैयारी में कोई अपराध कारित करने का आशय समाविष्ट होता है किंतु इसको वास्तविक रूप से कारित करने में कम रह जाता है । परिणामस्वरूप इसे इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि यदि इसे रोका नहीं गया होता तो इसकी परिणति प्रयत्न किए गए कृत्य के पूर्णता में होती । धारा 511 में दिए गए दृष्टांतों से मात्र तैयारी के मामलों और प्रयत्न के मामलों के बीच फर्क करने का विधायी आशय स्पष्ट रूप से दर्शित होता है ।

11. किसी अभियुक्त को बलात्संग करने के आशय से प्रयत्न

---

[1] (2004) 3 एस. सी. सी. 602.

करने का दोषी होने का पता करने के लिए न्यायालय का यह समाधान हो जाना चाहिए कि अभियुक्त, जब उसने अभियोक्त्री को पकड़ लिया था, तब उसकी इच्छा न केवल उसके शरीर पर अपनी कामवासना को शांत करने की थी अपितु किसी भी दशा में उसका आशय उसकी ओर से कोई विरोध होते हुए भी ऐसा करना था । अशिष्ट हमलों को प्राय: बढ़ा-चढ़ाकर बलात्संग करने का प्रयत्न कह दिया जाता है । इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अवश्य सामग्री विद्यमान होनी चाहिए कि अभियुक्त का आचरण किसी भी दशा में, सभी विरोध के बावजूद, अपनी कामवासना को शांत करने के संकल्प का सूचक था । परिवर्ती परिस्थितियां बहुत बार इस पहलू पर संकेतक का काम करती हैं ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

19. उन कानूनी उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जिनका उद्धृत विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर अर्थान्वयन किया गया है, हम यह परीक्षा करेंगे कि क्या प्रत्यर्थी ने अभियोक्त्रियों के साथ बलात्संग करने का प्रयत्न किया था या उसकी ओर से यह केवल तैयारी थी ?

20. हम प्रारंभ में यह स्पष्ट कर सकते हैं कि जिन बातों से 'प्रयत्न' का गठन होता है, वह विधि और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है । 'प्रयत्न' तैयारियां पूर्ण हो जाने के पश्चात् अपराध कारित करने की दिशा में प्रत्यक्ष संचलन है । यह साबित करना आवश्यक है कि प्रयत्न अपराध कारित करने के आशय से किया गया था । प्रयत्न तब भी संभव है जब अभियुक्त मूल अपराध कारित करने में असफल रह जाता है । इसी प्रकार, यदि कोई अपराध कारित करने का प्रयत्न पूर्ण हो जाता है, तब अपराध सभी आशय और प्रयोजनों के लिए कारित हो जाता है ।

21. अप्राप्तवय लड़कियों को अपने मकान के अंदर ले जाने के लिए, दरवाजा (दरवाजे) बंद करने, विपदग्रस्तों को निवस्त्र करने और अपने जननांगों को अभियोक्त्रियों के जननांगों पर रगड़ने के प्रत्यर्थी के विमर्शित स्पष्ट उपायों को साबित करने के लिए अभिलेख पर जबरदस्त साक्ष्य है । चूंकि विपदग्रस्त रोने लगी थीं, इसलिए प्रत्यर्थी अपने

उपांतिम कृत्य में सफल नहीं हो सका था और भाग्यवश वास्तविक प्रवेशन से बच गई थीं । यदि प्रत्यर्थी प्रवेशन करने में सफल हो जाता, भले ही आंशिक रूप से, तो उसका कृत्य उस 'बलात्संग' की परिधिरेखा के अंतर्गत आ जाता जो उस समय भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन रूढ़िवादी रूप से परिभाषित था ।

22. विपदग्रस्तों (अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2) द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य अकाट्य हैं । दोनों ने असंदिग्ध रूप से कथन किया था कि कैसे प्रत्यर्थी ने उन्हें फुसलाया था और उन सभी मानसिक आघात पहुंचाने वाले कृत्यों में आलिप्त किया था जिनका पूर्ववर्ती पैराओं में पहले ही वर्णन किया गया है । दोनों विपदग्रस्त-बालिकाओं के कथनों से पूर्ण विश्वास प्रेरित होता है, उनकी निर्दोषिता सिद्ध होती है और सिखाने-पढ़ाने की किसी दूरस्थ संभावना के बिना उनका वृत्तांत स्वाभाविक दिखाई पड़ता है ।

23. इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 8 के मुकाबले में दोनों विपदग्रस्तों के परिसाक्ष्यों के बीच विरोधाभास के संबंध में दी गई कमजोर दलील समान रूप से अमान्य है । बोधगम्य विरोधाभास उस वर्णन को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिस पर अभियोजन का पक्षकथन आधारित है । अन्यथा भी, इस विरोधाभास को अधिक से अधिक एक बाल साक्षी की ओर से मात्र एक 'अतिरंजना' के रूप में देखा जा सकता है जिसके शेष परिसाक्ष्य से अभियोजन के पक्षकथन का पूर्णतया समर्थन होता है । जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है, यह महत्वपूर्ण तथ्य निर्विवादित रहा है कि विपदग्रस्तों द्वारा घटना के विवरण को अभि. सा. 8 के साथ साझा किया गया था और इसलिए न्यायालय छुट-पुट अतिरंजना के आधार पर संपूर्ण साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए आबद्ध नहीं हैं । इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने बारंबार यह दोहराया है कि विपदग्रस्त का अकेला अभिसाक्ष्य भी संपुष्टि के लिए तर्कपूर्ण कारणों के विद्यमान न होने पर भी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है ।

24. हमारी सुविचारित राय में, प्रत्यर्थी का अप्राप्तवय लड़कियों को फुसलाने, उन्हें कमरे के अंदर ले जाने, दरवाजे बंद कर लेने और

विपदग्रस्तों को मैथुन करने के हेतु से एक कमरे में ले जाने का कृत्य अपराध कारित करने की 'तैयारी' का अंत था । अभियोक्त्रियों और स्वयं के वस्त्र उतारने का उसका पश्चात्वर्ती कार्य और अपने जननांगों को विपदग्रस्तों से जननांगों से रगड़ना वास्तव में मैथुन करने का प्रयास था । प्रत्यर्थी के ये कृत्य लक्षित अपराध कारित करने के स्पष्ट आशय के साथ सोच-विचार करके किए गए थे और अपराध की पूर्णता के युक्तियुक्त रूप से सन्निकट थे । चूंकि प्रत्यर्थी के कृत्य तैयारी के प्रक्रम से आगे बढ़ गए थे और वास्तविक प्रवेशन से पूर्व के थे । विचारण न्यायालय ने उसे ठीक ही भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 375, जैसी कि यह घटना घटने के समय प्रवृत्त थी, की व्याप्ति और परिधि के भीतर यथा दंडनीय बलात्संग करने का प्रयत्न करने का दोषी ठहराया था ।

निष्कर्ष

25. उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर के तात्विक साक्ष्य की उपेक्षा करके प्रतिकूल रूप से निकाले गए निष्कर्ष अनुचित हैं और विधि की दृष्टि से अमान्य हैं । अत: हम यह अपील मंजूर करते हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं और विचारण न्यायालय के निर्णय को प्रत्यावर्तित करते हैं । प्रत्यर्थी को दो सप्ताह के भीतर अभ्यर्पण करने और विचारण न्यायालय द्वारा यथा अधिनिर्णीत अपने शेष दंडादेश को भुगतने का निदेश दिया जाता है । यदि प्रत्यर्थी अभ्यर्पण करने में असफल रहता है तो पुलिस प्राधिकारियों को उसे गिरफ्तार करने और अनुपालना रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया जाता है ।

26. इस अपील का उपरोक्त निबंधनों के अनुसार निपटारा किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.
